भोग बन्धक पत्र

यह बन्धक विलेख दिनांक .... माह .... सन् . ... को .... के दिन सर्वश्री क,ख, ग, घ (एक संयुक्त हिन्दू परिवार) निवासी .... (जिसे आगे 'बन्धककर्ता' कहा गया है) जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है, जिसमें निम्नलिखित समांशित सम्मिलित है–

(i) क ख आत्मज ग घ, आयु 55 वर्ष कर्ता एवं प्रबन्धक
(ii) च छ आत्मज ज झ, आयु 52 वर्ष,
(iii) ट ठ आत्मज क ख आयु 34 वर्ष
(iv) प फ आत्मज क ख, आयु 30 वर्ष,
(v) स द आत्मज च छ आयु 25 वर्ष,

के लिए संघ की ओर से कर्ता एवं प्रबन्धक के रूप में क ख, आत्मज ग घ तथा त थ आत्मज द ध, आयु 45 वर्ष, निवासी .... (जिसे आगे 'बन्धकी' कहा गया है), जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है, के बीच .... नगर में निष्पादित किया गया।

चूँकि उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार का जिसका कि क ख कर्ता एवं प्रबन्धक है .... नगर में .... स्ट्रीट पर एक मकान है, जिसका पूर्ण विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, और कि उक्त मकान सभी प्रकार के भारों एवं अभिभारों से मुक्त होकर उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है।

और चूँकि उक्त क ख द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए रूपये 20,000/– ऋण लिया गया था जो कि अभी तक देय है तथा जिसकी ऊँची ब्याज दर होने से वह दिन व बिन बढ़ता चला जा रहा है एवं जिसका भुगतान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

और चूँकि उक्त कर्ता उस ऋण को उक्त वर्णित मकान को बन्धकी के पास बन्धक रखकर अदा करने का इच्छुक है, बन्धकी भी इसके लिए सहमत है।

अतएवं अब विलेख साक्ष्यांकित करता है।

1. बन्धककर्ता उक्त 20,000/– रूपये बन्धकी से प्राप्त कर एतद्द्वारा उसकी अभिस्वीकृति करता है।
2. कि उक्त राशि रूपये .... प्रति सैकड़ा प्रतिमाह कली दर से ब्याज सहित दिनांक .... तक प्रत्येक .... माही किश्तों में अदा की जायेगी।
3. कि उक्त बन्धक धन के प्रतिभूतिस्वरूप बन्धककर्ता ने अपना उक्त मकान बन्धकी को अन्तरित कर दिया है जिसे वह पूर्ण रूप से उपयोग एवं उपभोग में लायेगा तथा बन्धककर्ता उसमें किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करेगा।
4. कि बन्धकी उक्त बन्धक मकान में के सभी लाभों एवं भारकों को प्राप्त करेगा एवं उस राशि को प्रथमतः ब्याज में तथा बाद में मूलधन में समायोजित करेगा।
5. बन्धककर्ता उक्त बन्धक सम्पत्ति को बन्धक के समय में किसी भी प्रकार से भारग्रस्त नहीं बनायेगा।

6. कि बन्धककर्ता द्वारा पूरा बन्धक धन अदा कर लिए जाने पर उक्त बन्धक मकान उसे अन्तरित कर दिया जायेगा।
7. कि उक्त मकान पर भारित सभी प्रकार के करों का भुगतान बन्धककर्ता द्वारा किया जायेगा।
8. कि बन्धककर्ता एवं बन्धकी शब्द के अन्तर्गत उसके दायाद, उत्तराधिकारी, प्रशासक एवं समनुदेशित भी सम्मिलित समझे जायेगें।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्ष्यों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर, क ख

बन्धककर्ता

हस्ताक्षर, त थ

बन्धकी

साक्षीगण

(1) ....

(2) ....